माल और सेवा कर परिषद
GOODS AND SERVICES TAX COUNCIL

वस्तु एवं सेवा कर परिषद सचिवालय

5वीं मंजिल, टावर–II, जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली – 110001

फ़ा. सं: 844/GoM for Revenue Analysis/GSTC/2018

दिनांक: 01.01.2019

कार्यालय-ज्ञापन

विषय : जीएसटी (GST) से प्राप्त राजस्व के विश्लेषण पर मंत्रियो के समूह (GoM) के गठन के संबंध में |

नई दिल्ली में 22 दिसंबर 2018 को आयोजित जीएसटी परिषद की 31वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, जीएसटी से राजस्व के विश्लेषण पर मंत्रियों के एक समूह (GoM) का गठन किया गया है। 'जीएसटी से प्राप्त राजस्व के विश्लेषण सम्बन्धी इस GoM' की संरचना इस प्रकार होगी:

क्रम संख्या	नाम	पदनाम और राज्य	स्थिति
1.	श्री सुशील कुमार मोदी	माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार सरकार	संयोजक
2.	श्री कृष्णा बायरे गौड़ा	माननीय ग्रामीण विकास, कानून और संसदीय कार्य मंत्री, कर्नाटक सरकार	सदस्य
3.	डॉ. टी. एम. थॉमस इसाक	माननीय वित्त मंत्री, केरल सरकार	सदस्य
4.	श्री मनप्रीत सिंह बादल	माननीय वित्त मंत्री, पंजाब सरकार	सदस्य
5.	श्री शशि भूषण बेहेरा	माननीय वित्त एवं उत्पाद शुल्क मंत्री, ओडिशा सरकार	सदस्य
6.	कैप्टन अभिमन्यु	माननीय उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्री, हरियाणा सरकार	सदस्य
7.	श्री मौविन गोडिन्हो	माननीय पंचायत मंत्री, गोवा सरकार	सदस्य

2. जीएसटी से प्राप्त राजस्व के विश्लेषण सम्बन्धी इस GoM के निर्धारित कार्य - क्षेत्र निम्नानुसार होंगे:

i. जीएसटी-पूर्व और जीएसटी-बाद, दोनों राजस्व संग्रह के राज्य-वार रुझानों का विश्लेषण करना;

ii. राजस्व संग्रह को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख क्षेत्रों (सेवा क्षेत्र सहित) से उभरने वाले संरचनात्मक पैटर्न का विश्लेषण करना;

iii. जीएसटी के डिजाइन और कार्यान्वयन के दौरान लगाए गए मूल अनुमान की तुलना में राजस्व संग्रह के रुझानों में विचलन के अंतर्निहित कारणों की पहचान करना, विशेष रूप से कुछ प्रमुख उपभोक्ता राज्यों के अपेक्षित राजस्व संग्रह से कम होने के कारणों की पहचान करना;

iv. उपरोक्त बिंदुओं (i, ii और iii) पर अर्थमितीय (econometric) और सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करके डेटा विश्लेषण करना;

v. राजस्व वृद्धि के लिए सुधार हेतु उपयुक्त उपायों/नीतिगत हस्तक्षेपों का सुझाव देना, विशेष रूप से उन राज्यों के लिए जो उच्च राजस्व कमी का सामना कर रहे हैं।

3. राजस्व विश्लेषण पर गठित GoM को केंद्र और राज्यों के अधिकारियों की एक समिति और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (NIPFP) और नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) जैसे संगठनों से लिए गए विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

4. राज्यों के राजस्व विश्लेषण हेतु GoM के सचिव श्री ऋत्विक पांडे, संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग होंगे।

5. इसे माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री और अध्यक्ष, जीएसटी परिषद के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(धीरज रस्तोगी)

संयुक्त सचिव, जीएसटी परिषद

प्रतिलिपि प्रेषित:

1) GoM के सभी सदस्य
2) राजस्व सचिव, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
3) अध्यक्ष, CBIC, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
4) विशेष सचिव, जीएसटी परिषद सचिवालय
5) कानून समिति, फिटमेंट समिति और आईटी समिति के संयोजक
6) आयुक्त (जीएसटी नीति विंग), CBIC
7) संयुक्त सचिव, TRU-I
8) TRU-II, राजस्व विभाग अध्यक्ष, GSTN
9) सयुक्त सचिव, जी.एस. टी परिषद सचिवालय
10) अध्यक्ष जी.एस.टी.एन
11) सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारी, इस अनुरोध के साथ कि वे जीएसटी परिषद के माननीय सदस्य को राजस्व विश्लेषण के लिए जीओएम के गठन के बारे में सूचित करें |
12) माननीय वित्त मंत्री के निजी सचिव (PS), भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली |
13) माननीय राज्य मंत्री (वित्त) के निजी सचिव (PS), भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली |